फोन नं0 0612– 2219116(का
फैक्स नं0– 0612–221890
E-mail- dismgmtpatna@gmail.co
dm-patna.bih@nic.i

पटना समाहरणालय,पटना
(आपदा प्रबंधन शाखा, पटना

आदेश

बाढ़ सुखाड़, एवं अग्निकाण्ड,2014 से संबधित साहाय्य कार्यों के सम्यकरूपेण संचालन हेतु 10,000 (दस हजार) पॉलीथीन शीट्स का कय करना आवश्यक है। पूर्व में क्रय किये गये 5000 (पॉच हजार) पॉलीथीन शीट्स में 4000 (चार हजार) पॉलीथीन शीट्स विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 11/EOC/आ0 प्र0, दिनांक 03.08.2014 द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में जिलाधिकारी, सुपौल को उपलब्ध कराया गया है।

उक्त के आलोक में इस वर्ष एतदर्थ प्राप्त निविदाओं में से स्वीकृत निविदाता फर्म मेसर्स ईस्ट हुगली पॉली प्लास्ट प्रा0 लि0, सुपर मार्केट, चिनसुराह, स्टेशन रोट, चिनसुराह, हुगली (पश्चिम बंगाल) को निम्नांकित विशिष्टयों एवं शर्तो के अध्यधीन इनके द्वारा पूर्व में दिए गए नमूना के अनुरूप पॉलीथीन शीट्स की आपूर्ति का आदेश दिया जाता है :–

क्र०	आपूर्तिकर्त्ता फर्म का विवरण	आपूर्त्ती की जाने वाली सामग्री का नाम	गुणवत्ता	आकार	मात्रा	निर्धारित दर
1	**ईस्ट हुगली पॉली प्लास्ट प्रा० लि०** (DGS & D **निबंधन संख्या** - KOL/S-5073/13/06644, **बिहार वैट** TIN No.-10112093049, PAN NO .-AACCE2946G)	Low density Polyethylene Black sheets of **250 micrometer**	DGS & D द्वारा निर्धारित गुणवत्ता का (ISI 2508/84 के अनुसार)	4 x 5 मीटर	10,000 शीट्स	**138.00 रू०** (एक सौ अड़तीस रुपये) प्रति कि०ग्रा० सभी कर, अधिभार, शुल्क, परिवहन व्यय सहित

1. आपूर्त्तिकर्त्ता को पॉलिथीन शीट्स की आपूर्त्ति ऊपर दिए गए विवरण के आलोक में DGS & D द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप करनी होगी।

2. आपूरित पॉलिथीन शीट्स DGS & D द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित होना चाहिए तथा तत्संबंधी सत्यापन प्रमाण पत्र अलग से आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म को उपलब्ध कराना होगा। इसके बिना आपूर्त्तिकर्त्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।

3. आपूर्त्तिकर्त्ता को आदेशित सामग्री (निर्दिष्ट गुणवत्ता, आकार एवं मात्रा में) की आपूर्त्ति इस आदेश के निर्गत होने के 10 (दस) दिनों के अंदर जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पटना समाहरणालय, पटना में करनी होगी। जिसमें विफल रहने पर आपूर्त्तिकर्त्ता के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

4. आपूर्त्ति हेतु कोई अग्रिम एवं अलग से परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।

5. आपूर्ति की जानेवाली पॉलिथीन शीट्स की गुणवत्ता की जाँच अपर समाहर्त्ता, राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी जिसमें महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना, जिला लेखा पदाधिकारी, पटना, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना, तथा अंचल अधिकारी, पटना सदर गुणवत्ता जाँच समिति के सदस्य होगें।

फोन नं० 0612– 2219116(का
फैक्स नं०– 0612–221890
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

पटना समाहरणालय,पटना
(आपदा प्रबंधन शाखा, पटना

आपूर्ति की गई सामग्री का वजन सत्यापन हेतु निरीक्षक, माप–तौल, पटना (अति– 1), निरीक्षक, माप–तौल, पटना (अति– 2), निरीक्षक, माप–तौल, पटना सिटी (अति) तथा निरीक्षक, माप–तौल, दानापुर (अति) समिति के सदस्य होंगे।

6. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक वैधानिक कटौतियों के उपरान्त लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

7. आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा अद्यतन कर चुकता प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जाएगा।

ह०/–
जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक–-XLI-03/14 760 /आ०प्र०, पटना, दिनांक 04/08/14

प्रतिलिपि :– मेसर्स ईस्ट हुगली पॉली प्लास्ट प्रा० लि०, सुपर मार्केट, चिनसुराह, स्टेशन रोड, चिनसुराह, हुगली (पश्चिम बंगाल) को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निरीक्षक, माप–तौल, पटना (अति– 1), निरीक्षक, माप–तौल, पटना (अति– 2), निरीक्षक, माप–तौल, पटना सिटी (अति) तथा निरीक्षक, माप–तौल, दानापुर (अति) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, राजस्व, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना/जिला लेखा पदाधिकारी, पटना/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना तथा अंचल अधिकारी, पटना सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– ADG (Q.A.), O/O DGS & D, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3/8/14

जिलाधिकारी,
पटना।